



उत्तर प्रदेश सरकार

**2021-2022 के लिये**

**अनुपूरक अनुदानों  
की  
मांगें**

**(दिसम्बर, 2021)**

(जैसा कि विधान-मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयीं)

उत्तर प्रदेश सरकार

**2021-2022 के लिये**

**अनुपूरक अनुदानों**

**की**

**मांगें**

(दिसम्बर, 2021)

## वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिये द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तावनिक टिप्पणी

किसी वित्तीय वर्ष में व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई धनराशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पायी जाने पर उस अतिरिक्त व्यय की प्राक्कलित धनराशि के लिये विधान मण्डल के समक्ष अनुपूरक अनुदान की मांग का प्रस्तुतिकरण संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार अभीष्ट है । व्यय की ऐसी नई मदों के सम्बन्ध में भी अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत करनी होती है, जिनके लिए मूल आय–व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं होती । अनुपूरक अनुदान की मांग की उस समय भी आवश्यकता होती है, जब सम्बन्धित व्यय के लिए धन उपलब्ध हो, पर व्यय नई मदों के लिए हो या मूल योजना में इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया हो कि उसे विधान–मण्डल के सामने स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक हो । ऐसी मांग “प्रतीक मांग” कहलाती है जो प्रचलित वित्तीय व्यवस्था का एक स्वीकृत अंग है ।

2. वित्तीय वर्ष 2021–2022 की द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांग में, अनुदान के अन्तर्गत आय–व्ययक में व्यवस्थित धनराशि, अनुपूरक अनुदान की मांग की धनराशि, जिसकी अब आवश्यकता है तथा उससे सम्बन्धित संक्षिप्त टिप्पणियाँ भी सम्मिलित हैं । विनियोग लेखों के प्रयोजन के लिए लेखा शीर्षों के अनुसार सविस्तार विवरण भी अनुदानवार दिया गया है । अनुपूरक अनुदान की मांग मुख्यतया इसलिए की जा रही है कि आय–व्ययक में व्यवस्थित धनराशि, व्यय की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के सापेक्ष कम पड़ने की सम्भावना है । इनमें से कुछ नई मदों पर व्यय करने के लिए भी हैं जिनके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं है । विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत मांगों का विवरण अगले पृष्ठों पर अनुसूची में दिया गया है ।

3. प्रस्तावित अनुपूरक मांग ₹ 847953.00 लाख हैं, जिसमें राजस्व लेखा ₹ 681952.00 लाख तथा पूंजी लेखा ₹ 166001.00 लाख है ।

4. उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा–6(5) के अधीन अपेक्षित विवरण पत्र भी इन माँगों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है ।

अग्रहायण 25, शक संवत्, 1943  
तदनुसार  
16 दिसम्बर, 2021

एस. राधा चौहान  
अपर मुख्य सचिव, वित्त  
एवं वित्त आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

**उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004  
की धारा 6(2) के अधीन अपेक्षित विवरण**

अधिनियम की धारा 6(2) में निम्नवत् व्यवस्था है -

"वित्त विभाग का प्रभारी मंत्री प्रत्येक अर्द्ध वर्ष पर बजट से सम्बन्धित प्राप्तियों और व्यय के रुख, बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले उपचारी उपायों का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकनों के परिणाम को विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखेगा । पुनर्विलोकन रिपोर्ट ऐसे प्रपत्र में होगी जैसा विहित किया जाय ।"

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्तीय वर्ष 2021-2022 की प्रथम छमाही के आँकड़ों के आधार पर वर्ष 2021-2022 की प्रथम छमाही के लिये पुनर्विलोकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है ।

**वर्ष 2021-2022 की प्रथम छमाही हेतु पुनर्विलोकन रिपोर्ट -**

( ₹ करोड़ में )

मद	बजट अनुमान 2021-2022	महालेखाकार द्वारा पुस्तंकित आँकड़े 2021-2022 (30.09.2021 तक)	बजट अनुमानों के सापेक्ष प्रतिशत के रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)
(अ) गैर उधार प्राप्तियाँ			
1 राज्य का स्वयं का कर	186345.00	66750.07	35.82
2 करेतर राजस्व	25421.67	4199.22	16.52
3 केन्द्रीय करों में राज्यांश	119395.30	46667.55	39.09
4 केन्द्र सरकार से अनुदान	87178.47	17559.97	20.14
कुल राजस्व प्राप्तियाँ (योग - 1, 2, 3 एवं 4)	<b>418340.44</b>	<b>135176.81</b>	32.31
5 उधार एवं अग्रिम की वसूली	2332.00	433.67	18.60
कुल गैर उधार प्राप्तियाँ (योग - 1, 2, 3, 4 एवं 5)	<b>420672.44</b>	<b>135610.48</b>	32.24
(ब) व्यय			
6 राजस्व व्यय	395130.35	139241.21	35.24
7 पूंजीगत परिव्यय	113767.70	23803.17	20.92
8 उधार एवं अग्रिम	2504.19	1074.21	42.90
कुल व्यय (ऋणों का प्रतिदान छोड़कर) (योग - 6, 7 एवं 8)	<b>511402.24</b>	<b>164118.59</b>	32.09
(स) राजस्व बचत	<b>23210.09</b>	<b>(-) 4064.40</b>	----
(द) राजकोषीय घाटा	<b>90729.80</b>	<b>28508.11</b>	----

## उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004

### की धारा-6(5) के अधीन अपेक्षित विवरण

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा-6(5) में निम्नलिखित प्रावधान है -

6(5) जब कभी एक या उससे अधिक अनुपूरक प्राक्कलन विधान मण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, राज्य सरकार चालू वर्ष के बजट लक्ष्यों और भावी वर्ष के लिए मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों के सम्बन्ध में अनुपूरक प्राक्कलन के राजकोषीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने के लिये व्यय की तत्सम कमी और / या राजस्व के समवर्द्धन को सूचित करने वाला विवरण भी संलग्न करेगी ।

प्रस्तुत अनुपूरक माँगों का कुल आकार ₹ 847953.00 लाख है, जिसमें केन्द्रीय योजनाओं हेतु प्राप्त होने वाले केन्द्राँश की धनराशि ₹ 66000.00 लाख को घटाने के उपरान्त समेकित निधि से होने वाले शुद्ध व्यय भार की धनराशि ₹ 781953.00 लाख है । इस राशि का वित्त पोषण कर एवं करेतर राजस्व में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके तथा अनुत्पादक व्यय में कमी करके किया जायेगा ।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों (द्वितीय किश्त) की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि ( ₹लाख में )		पृष्ठ संख्या	
			मतदेय	भारित		
1	2	3	4	5	6	
009	ऊर्जा विभाग	ऊर्जा मंत्री	राजस्व	172250.00	...	1-3
			पूँजी	166000.00	...	
022	खेल विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	1000.00	...	4-5
058	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	लोक निर्माण मंत्री				6-7
			पूँजी	1.00	...	
076	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री	राजस्व	400000.00	...	8
078	सचिवालय प्रशासन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	10000.00	...	9
079	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री	राजस्व	16700.00	...	10
080	समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री	राजस्व	67000.00	...	11-12
086	सूचना विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	15000.00	...	13
092	संस्कृति विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	2.00	...	14-15
			योग : राजस्व	681952.00	...	
			पूँजी	166001.00	...	
			योग :	847953.00	...	
			कुल योग :	847953.00		

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
राजस्व लेखा		
क - सामान्य सेवायें		
(क) राज्य के अंग		
2013 - मंत्रि परिषद्	78	10000.00
योग : 2013		10000.00
योग : (क)		10000.00
योग : क		10000.00
ख - सामाजिक सेवायें		
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति		
2204 - खेल कूद तथा युवा सेवायें	22	1000.00
योग : 2204		1000.00
2205 - कला एवं संस्कृति	92	2.00
योग : 2205		2.00
योग : (क)		1002.00
(घ) सूचना तथा प्रसारण		
2220 - सूचना तथा प्रचार	86	15000.00
योग : 2220		15000.00
योग : (घ)		15000.00
(च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण		
2230 - श्रम, रोजगार और कौशल विकास	76	400000.00
योग : 2230		400000.00
योग : (च)		400000.00
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण		
2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	79	16700.00
	80	67000.00
योग : 2235		83700.00
योग : (छ)		83700.00
योग : ख		499702.00
ग - आर्थिक सेवायें		
(ङ) उर्जा		
2801 - बिजली	09	172250.00

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

( ₹लाख में )

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	योग : 2801	172250.00
	योग : (ङ)	172250.00
	योग : ग -	172250.00
	राजस्व लेखा	681952.00
पूँजीगत लेखा		
ग - आर्थिक सेवाओं के पूँजीगत लेखे		
(ङ) उर्जा का पूँजीगत लेखा		
4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	09	166000.00
	योग : 4801	166000.00
	योग : (ङ)	166000.00
(छ) परिवहन का पूँजीगत लेखा		
5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	58	1.00
	योग : 5054	1.00
	योग : (छ)	1.00
	योग : ग -	166001.00
	पूँजीगत लेखा	166001.00
	योग : समेकत निधि	847953.00



अनुदान संख्या 009

ऊर्जा विभाग

[वर्ष 2021-2022 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किशत के लिये खण्ड-5( भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-13 व 3-4 तक देखिये]

		( ₹लाख में )		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	2079613.93	884383.74	2963997.67
	भारित	363794.42	439552.62	803347.04
प्रथम किशत	मतदेय	150000.00	...	150000.00
	भारित	1723.95	1354.76	3078.71
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	172250.00	166000.00	338250.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	2401863.93	1050383.74	3452247.67
	भारित	365518.37	440907.38	806425.75

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

( ₹लाख में )

धनराशि

राजस्व लेखा-----

**2801 - बिजली**

05 - संचरण एवं वितरण

800 - अन्य व्यय

04 - उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. को क्षतिपूर्ति अनुदान

27 - सब्सिडी

135000.00

योग : 04

135000.00

05 - उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फंडिंग

27 - सब्सिडी

37250.00

योग : 05

37250.00

योग : 800

172250.00

योग : 05

172250.00

योग : 2801

172250.00

योग : राजस्व लेखा

172250.00

पूँजी लेखा-----

**4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय**

05 - संचरण तथा वितरण

190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

धनराशि	
05 - 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को अंशपूँजी	
30 - निवेश/ऋण	100000.00
योग : 05	100000.00
योग : 190	100000.00
योग : 05	100000.00
06 - ग्रामीण विद्युतीकरण	
190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
06 - दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कार्यो हेतु अंशपूँजी (के.60/रा.10/नि.30-के.)	
30 - निवेश/ऋण	30000.00
योग : 06	30000.00
07 - सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त एच 0 टी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हेतु यू 0 पी0 सी0 एल 0 को अंशपूँजी (के० 60/रा० 10/नि० 30-के०)	
30 - निवेश/ऋण	17500.00
योग : 07	17500.00
योग : 190	47500.00
योग : 06	47500.00
80 - सामान्य	
190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
04 - प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु अंशपूँजी (के.60/रा.10/नि.30-के.)	
30 - निवेश/ऋण	18500.00
योग : 04	18500.00
योग : 190	18500.00
योग : 80	18500.00
योग : 4801	166000.00
योग : पूँजी लेखा	166000.00
योग : अनुपूरक	338250.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. को क्षतिपूर्ति अनुदान हेतु रुपये 13500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग हेतु रुपये 3725000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. प्रदेश में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को अंशपूँजी हेतु रुपये 10000000000 की आवश्यकता ।

4. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनान्तर्गत विद्युत वितरण कार्यो के लिये अंशपूजी हेतु रूपये 3000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनान्तर्गत सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त एच 0 टी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिये अंशपूजी हेतु रूपये 1750000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना "सौभाग्य" योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण के लिये अंशपूजी हेतु रूपये 1850000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 022

खेल विभाग

[वर्ष 2021-2022 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 1-12 तक देखिये]

		( ₹लाख में )		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	15545.23	9930.46	25475.69
	भारित	...	...	...
प्रथम किश्त	मतदेय	...	...	...
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1000.00	...	1000.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	16545.23	9930.46	26475.69
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

( ₹लाख में )

धनराशि

राजस्व लेखा-----

**2204 - खेल कूद तथा युवा सेवार्ये**

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - खेलकूद निदेशालय

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

125.00

योग : 03

125.00

योग : 001

125.00

104 - खेलकूद

04 - क्रीडा छात्रावास के आवासीय खिलाडियों पर व्यय (बालिकाओं हेतु)

42 - अन्य व्यय

84.93

योग : 04

84.93

05 - भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाडियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता-

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

7.80

योग : 05

7.80

06 - क्रीडा छात्रावास के आवासीय खिलाडियों पर व्यय- (बालको हेतु)

42 - अन्य व्यय

244.60

योग : 06

244.60

23 - स्पोर्ट्स कालेज को अनुदान--

2301 - स्पोर्ट्स कालेज गोरखपुर को अनुदान--

	धनराशि
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	140.95
योग : 2301	140.95
2302 - स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ को अनुदान	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	131.87
योग : 2302	131.87
2303 - स्पोर्ट्स कालेज ,सैफई को अनुदान	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	139.85
योग : 2303	139.85
योग : 23	412.67
35 - सैयद मोदी मेमोरियल आल इण्डिया प्राइजमनी बैडमिन्टन कम्पटीशन हेतु सहायता	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	125.00
योग : 35	125.00
योग : 104	875.00
योग : 2204	1000.00
योग : राजस्व लेखा	1000.00
योग : अनुपूरक	1000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. खेल विभाग के अन्तर्गत विभिन्न मदों में रूपये 100000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 058

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)

[वर्ष 2021-2022 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 6)के पृष्ठ संख्या 1-16 तक देखिये]

		( ₹लाख में )		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	604385.70	1527882.00	2132267.70
	भारित	15010.29	9500.00	24510.29
प्रथम किश्त	मतदेय	...	...	...
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	1.00	1.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	604385.70	1527883.00	2132268.70
	भारित	15010.29	9500.00	24510.29

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

( ₹लाख में )

धनराशि

पूँजी लेखा-----

**5054** - सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

337 - सड़क निर्माण कार्य

13 - एक मुश्त व्यवस्था

1351 - काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं गंगा आरती दर्शन की सुगमता हेतु गंगा घाट के विपरीत दिशा में राजघाट पुल से रामनगर तक 04 लेन मे मॉडल सड़क का निर्माण एवं अन्य विविध कार्य

24 - वृहत् निर्माण कार्य 1.00

योग : 1351 1.00

योग : 13 1.00

योग : 337 1.00

योग : 04 1.00

योग : 5054 1.00

योग : पूँजी लेखा 1.00

योग : अनुपूरक 1.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं गंगा आरती दर्शन की सुगमता हेतु गंगा घाट के विपरीत दिशा में राजघाट पुल से रामनगर तक 04 लेन में मॉडल सड़क का निर्माण एवं अन्य विविध कार्य विविध कार्य हेतु रुपये 100000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 076

श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

[वर्ष 2021-2022 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-25 तक देखिये]

		( ₹लाख में )		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	49720.31	27071.00	76791.31
	भारित	...	...	...
प्रथम किश्त	मतदेय	...	...	...
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	400000.00	...	400000.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	449720.31	27071.00	476791.31
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

( ₹लाख में )

धनराशि

राजस्व लेखा-----

**2230** - श्रम, रोजगार और कौशल विकास

01 - श्रम

103 - सामान्य श्रम कल्याण

10 - असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सहायता

42 - अन्य व्यय

400000.00

योग : 10

400000.00

योग : 103

400000.00

योग : 01

400000.00

योग : 2230

400000.00

योग : राजस्व लेखा

400000.00

योग : अनुपूरक

400000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सहायता दिये जाने हेतु 40000000000 की आवश्यकता ।



अनुदान संख्या 078

सचिवालय प्रशासन विभाग

[वर्ष 2021-2022 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-11 तक देखिये]

		( ₹लाख में )		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	124109.72	891.00	125000.72
	भारित	...	...	...
प्रथम किश्त	मतदेय	...	...	...
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	10000.00	...	10000.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	134109.72	891.00	135000.72
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

( ₹लाख में )

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2013 - मंत्रि परिषद्

105 - मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान

03 - मुख्य मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान

42 - अन्य व्यय

10000.00

योग : 03

10000.00

योग : 105

10000.00

योग : 2013

10000.00

योग : राजस्व लेखा

10000.00

योग : अनुपूरक

10000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष की सीमा में वृद्धि हेतु रुपये 1000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 079

समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछडा

वर्ग कल्याण)

[वर्ष 2021-2022 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-22 तक देखिये]

		( ₹लाख में )		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	256762.20	15986.83	272749.03
	भारित	...	...	...
प्रथम किश्त	मतदेय	...	...	...
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	16700.00	...	16700.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	273462.20	15986.83	289449.03
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

( ₹लाख में )

धनराशि

राजस्व लेखा-----

**2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण**

02 - समाज कल्याण

101 - विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

07 - नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगो को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

16700.00

योग : 07

16700.00

योग : 101

16700.00

योग : 02

16700.00

योग : 2235

16700.00

योग : राजस्व लेखा

16700.00

योग : अनुपूरक

16700.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. नेत्रहीन, मूक बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगो को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान में वृद्धि हेतु रुपये 1670000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 080

समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों  
का कल्याण)

[वर्ष 2021-2022 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-25 तक देखिये]

		( ₹लाख में )		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	553280.77	...	553280.77
	भारित	...	...	...
प्रथम किश्त	मतदेय	...	...	...
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	67000.00	...	67000.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	620280.77	...	620280.77
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान  
को सम्मिलित किया गया है |

( ₹लाख में )

धनराशि

राजस्व लेखा-----

**2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण**

60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

102 - समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन

03 - वृद्धावस्था /किसान पेंशन

0302 - वृद्धावस्था /किसान पेंशन

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

67000.00

योग : 0302

67000.00

योग : 03

67000.00

योग : 102

67000.00

योग : 60

67000.00

योग : 2235

67000.00

योग : राजस्व लेखा

67000.00

योग : अनुपूरक

67000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. वृद्धावस्था /किसान पेंशन में वृद्धि हेतु रुपये 6700000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 086

सूचना विभाग

[वर्ष 2021-2022 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5( भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-12 व 29-30 तक देखिये]

		( ₹लाख में )		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	55543.47	2101.00	57644.47
	भारित	...	...	...
प्रथम किश्त	मतदेय	50000.00	...	50000.00
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	15000.00	...	15000.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	120543.47	2101.00	122644.47
	भारित	...	...	...

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

( ₹लाख में )

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2220 - सूचना तथा प्रचार

60 - अन्य

101 - विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार

05 - अधिष्ठान

19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय

15000.00

योग : 05

15000.00

योग : 101

15000.00

योग : 60

15000.00

योग : 2220

15000.00

योग : राजस्व लेखा

15000.00

योग : अनुपूरक

15000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सूचना विभाग को प्रचार-प्रसार हेतु रूपये 1500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 092

संस्कृति विभाग

[वर्ष 2021-2022 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान व अनुपूरक अनुदान की प्रथम किश्त के लिये खण्ड-5( भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-15 व 31 तक देखिये]

		( ₹लाख में )		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	9401.38	8530.04	17931.42
	भारित	0.05	...	0.05
प्रथम किश्त	मतदेय	...	5000.00	5000.00
	भारित	...	...	...
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	2.00	...	2.00
	भारित	...	...	...
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	9403.38	13530.04	22933.42
	भारित	0.05	...	0.05

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

( ₹लाख में )

धनराशि

राजस्व लेखा-----

**2205 - कला एवं संस्कृति**

102 - कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन

18 - उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान

42 - अन्य व्यय

1.00

योग : 18

1.00

योग : 102

1.00

107 - संग्रहालय

04 - शाहजहाँपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का अनुरक्षण एवं रख-रखाव

29 - अनुरक्षण

1.00

योग : 04

1.00

योग : 107

1.00

योग : 2205

2.00

योग : राजस्व लेखा

2.00

योग : अनुपूरक

2.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. शाहजहाँपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का अनुरक्षण एवं रख-रखाव हेतु रुपये 100000 की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।

2. देश - विदेश में प्रदेश का गौरव स्थापित करने वाले ख्यातिलब्ध महानुभावों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिये जाने हेतु रुपये 100000 की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।